मैट्रोलाइन बैंगलोर से होसुर ले जाने पर विवाद, कर्नाटक के लोगों को रोजगार छिनने का डर

तमिलनाडू का तर्क है कि मैट्रो प्रोजैक्ट दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद है, पर, बेंगलुरु के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तमिलनाडू की चाल है

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

■ तमिलनाडू का होसुर तेजी से उभरता इण्डस्ट्रियल टाउन है और साउथ बैंगलोर, जहाँ बेंगलुरु की इलैक्ट्रॉनिक सिटी है, के ज्यादा नज़दीक है। होसुर में हवाई अड्डा बनाने की योजना है। यह हवाई अड्डा बेंगलुरु एयरपोर्ट की तुलना में साउथ बैंगलोर के ज्यादा करीब होगा।

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। दक्षिण भारत के दो इकोनॉमिक हब्ज, कर्नाटक में बेंगलुरु और तमिलनाडु में होसुर, के बीच टकराव बढ़ रहा है। बेंगलुरु का पड़ोसी क्षेत्र होसुर बहुत तेजी से एक इण्डस्ट्रियल हब और इकोनॉमिक सैंटर का रुप लेता जा रहा है, जो कि अपने पड़ोसी कर्नाटक के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है।

होसुर में एक एयरपोर्ट बनाने की योजना है, जो कि साउथ बेंगलुरु के निवासियों के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट की तुलना में अधिक पास पड़ेगा तथा दक्षिण बेंगलुरु क्षेत्र को होसुर से जोड़ने वाले हाइवे के कारण होसुर एयरपोर्ट पहुंचने में समय भी कम लगेगा।

अब, साउथ बेंगलुरु स्थित इलैक्ट्रानिक सिटी से होसुर तक मैट्रोलाइन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। ज्ञातव्य है कि इलैक्ट्रॉनिक सिटी आई.टी. तथा सॉफ्टवेयर इण्डस्ट्री का केन्द्र है और अपनी तरह का पहला टैक्नॉलजी एरिया है। दूसरी तरफ होसुर, तमिलनाडु का अंतिम इण्डस्ट्रियल टाउन है, जो कि दक्षिण भारत के दोनों राज्यों के बीच बॉर्डर का काम करता है। उपरोक्त दोनों राज्यों में इण्डिया गठबंधन के दो अलग-अलग घटकों का शासन है, तमिलनाडू में द्रमुक (डी.एम.के.) तथा कर्नाटक में कांग्रेस का।

लेकिन, मैट्रोलाइन को लेकर कर्नाटक तथा कन्नड़ एक्टिविस्टों ने दोनों राज्यों के बीच लड़ाई शुरु करवा दी है। ये एक्टिविस्ट नहीं चाहते कि होसुर तक मैट्रोलाइन को बढ़ाया जाए। इन्हें डर है कि यदि आवाजाही आसान हो गई तो तमिलनाडू के इस शहर से आने वाले प्रवासियों की बाढ़ लग जाएगी। यहाँ के स्थानीय लोगों को भय है कि पड़ोसी राज्यों से कम दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के आने से उनकी आजीविका व रोजगार छिन जाएगा।

कर्नाटक सरकार को अभी उस प्रस्ताव पर निर्णय लेना है, जिस पर इस बिन्दु को लेकर चर्चा हो रही है कि मैट्रो-सेवा को बैंगलोर से होसुर तक बढ़ाया जाये। जब कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद से उन कर्नाटक समर्थक ग्रुपों द्वारा किए जा रहे विरोध के बारे में पूछा गया, जो इन दोनों शहरों के बीच मैट्रो-सेवा के विचार का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने पत्रकारों को बताया कि "जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह राज्य और उसकी जनता के सर्वोत्तम हित में होगा। इस समय तो सरकार केवल यह जाँच और विचार कर रही है कि यह प्रस्ताव व्यवहार्य है भी या नहीं तथा यह राज्य के हित में होगा या नही।" तमिलनाडू सरकार ने बोम्मासन्द्रा से होसुर तक 23 किमी. एलिवेटेड मैट्रो लाइन के लिये 6900 करोड़ रूपए प्रस्तावित किये हैं। इस लाइन का 11 किमी. का हिस्सा कर्नाटक में तथा 12 किमी. का हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। इस मैट्रो सर्विस से ये दोनों शहर जुड़ जायेंगे तथा श्रम शक्ति के त्वरित आवागमन के फलस्वरूप, इन दोनों ही क्षेत्रों के उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र के लिये काफी सुविधा एवं सुगमता हो जायेगी।

जहाँ तमिलनाडु का तर्क है कि यह मैट्रो प्रोजैक्ट दोनों राज्यों के लिये लाभदायक रहेगा, वहीं बैंगलोर के स्थानीय लोग तथा कन्नड़ संगठन इसके विरोध में उठ खड़े हुये हैं तथा इसे तमिलनाडु की एक चाल बताते हुये, संभावित लाभ को खारिज कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि कर्नाटक को इससे लाभ नहीं, बल्कि हानि होगी।

विपक्षी भाजपा का मत यह है कि बँगलोर शहर में वैसे ही ट्रैफिक सम्बन्धी कई चुनौतियाँ हैं तथा शहर के बहुत से क्षेत्र मैट्रो से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए एक भाजपा नेता एम.रेड्डी ने कहा कि सरकार को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए तथा मैट्रो लाइन के तमिलनाडु तक के विस्तार के सुझाव पर खुली आपत्ति किए बिना, प्रस्ताव में कोई अड़ंगा लगा देना चाहिए।

'उचित शिक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

असंवैधानिक, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए गारंटीयुक्त 'समानता के अधिकार" का उल्लंघनकर्ता घोषित कर दिया था। यह कहते हुए कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 असंवैधानिक है, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि "मदरसों के विद्यार्थियों को 'प्राइमरी एजूकेशन बोर्ड' तथा 'हाईस्कूल एंड इन्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश' के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में समायोजित करने के कदम तत्काल उठाए जायें।" उच्च न्यायालय का यह फैसला एक वकील द्वारा दायर की गई याचिका पर आया था। याचिका में "मदरसा एक्ट" को चुनौती दी गई थी। लेकिन अप्रैल में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च के इस फैसले पर रोक लगा दी थी तथा कहा था कि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मदरसा एक्ट का गलत अर्थ निकाला था तथा इस निर्णय से करीब 17 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे।

अमेरिकी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैरिस के मुकाबले में आने से ट्रम्प पिछड़ गए। अगर हैरिस नवम्बर में हुए चुनावों में जीत जाती हैं तो वे अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी।

श्रीगंगानगर में दोपहर 12:58 पर भूकम्प के झटके

रिक्टर स्केल पर भूकम्प की तीव्रता 5.8 नापी गई

■ भूकम्प का असर राजस्थान, पंजाब व जम्मू-कश्मीर में महसूस किया गया। भूकम्प का केन्द्र पाकिस्तान के वाहोवा प्रांत में था।

■ राजस्थान में श्रीगंगागनर के अलावा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ व जैसलमेर में भी भूकम्प के झटके महसूस किये गए।

श्रीगंगानगर, 11 सितम्बर (कासं)। पाकिस्तान में बुधवार दोपहर आये 5.8 तीव्रता के तेज भूकम्प से राजस्थान में भी धरती कांप उठी। इस भूकम्प का असर राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के एरिये में रहा। जहां हल्के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों और दफ्तारों से बाहर निकल गए।

मौसम विभाग के मुताबिक भूकम्प भारतीय समयानुसार 12.58 बजे आया और इसका केन्द्र पाकिस्तान के वाहोवा प्रांत के पास था। भूकम्प के झटके राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में झटके महसूस हुए। राजस्थान में श्रीगंगानगर, बीकानेर के एरिया में इस भूकम्प से सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए। वहीं जैसलमेर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ ग्रामीण एरिया में भूकम्प के बहुत हल्के झटके महसूस किए गए। बॉर्डर के जिले श्रीगंगानगर में 4-5 सैकण्ड तक भूकम्प के हल्के झटके महसूस किये।

नेशनल सैंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 नापी गई। भूकम्प का केन्द्र जमीन से करीब 33 किमी नीचे था। दोपहर करीब 12.58 बजे भूकम्प के झटके महसूस होने पर लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। श्रीगंगानगर के निवासी अरविंद ने बताया कि अचानक उन्हें लगा कि कुछ हिल रहा है। भूकम्प का एहसास होते ही वे दौड़कर बाहर निकले। अरविंद ने बताया कि उन्होंने करीब 4 सैकण्ड तक भूकम्प के हल्के झटके महसूस किये।

पड़ौसी देश पाकिस्तान में आये भूकम्प का बेहद मामूली असर श्रीगंगानगर इलाके पर भी नजर आया। पाकिस्तान से श्रीगंगानगर महज 25 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में भूकम्प का कुछ असर श्रीगंगानगर इलाके पर दिखा। शहर में लोगों ने जैसे ही मामूली मूवमेंट देखा उन्होंने एक दूसरे को फोन कर इस बारे में जानकारी ली। यह असर कुछ सैकण्ड तक ही रहा। दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर लोगों को कुछ सैकण्ड के लिए धरती हिलती हुई महसूस हुई।

मौसम विभाग के सहायक निदेशक हिमांशु शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकम्प आया है। हालांकि अब तक श्रीगंगानगर पर इसका असर रहने की कोई पुख्ता सूचना नहीं है, लेकिन नजदीक होने के कारण यह असर कुछ सैकण्ड तक रह सकता है। मौसम विभाग के स्थानीय सूत्रों ने भी हालांकि भूकम्प की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सीमा सटी होने के कारण भूकम्प का असर हमारे यहां हो सकता है। हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी-छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकम्प आता है।

म.प्र. के किसानों के लिए खुशखबरी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

■ केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को सस्ती दर पर सोयाबीन बेचना पड़ रहा था इसलिए राज्य सरकार ने एम.एस.पी. रेट पर सोयाबीन खरीदने का निर्णय लिया है।

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, "किसानों की सेवा करना हमारे लिये भगवान की पूजा करने के समान है।" उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन को राज्य में बेचने को लेकर चिन्तित थे। चौहान ने कहा कि हाल ही में, मध्य प्रदेश के किसान इस बात को लेकर चिन्तित थे कि सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, केन्द्र ने महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एम.एस.पी.) पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी थी।

मंगलवार को उन्होंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन भी एम.एस.पी. दर पर खरीदा जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने एम.एस.पी. दरें अनुमोदित कर दी हैं तथा केन्द्र को यह सूचना मिल चुकी है कि मध्य प्रदेश सरकार वहाँ के किसानों को सोयाबीन का पूरा मूल्य अदा करेगी।

क्या अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन्टेलिजैंस ब्यूरो (आई.बी.) को दी। जैसे ही यह सूचना आई.बी. को मिली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहार अजित डोवल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से फोन पर बात की तथा उन्हें सचेत किया कि भारत में कोई अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश नहीं करें।

गृह मंत्रालय को प्राप्त सूचना के अनुसार, आसन्न हरियाणा विधानसभा चुनावों में अमेरिकन हस्तक्षेप की प्रबल संभावनाएं हैं।

प्रेमिका के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का साथ दिया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर अनिल सैनी ने 13 जुलाई, 2018 को आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

बंगाल में आंदोलनरत डॉक्टर ममता बनर्जी से सशर्त मुलाकात को तैयार

■ आंदोलनरत डॉक्टरों ने कहा, मुख्यमंत्री से बातचीत का सीधा प्रसारण हो।

कोलकाता 11 सितंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को सरकार के अस्पतालों में महीने भर से चल रहे काम बंद को खत्म करने के लिए वार्ता में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए नयी शर्तें तय कीं जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति और कार्रवाई का सीधा प्रसारण शामिल है। मुख्य सचिव मनोज पंत ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए राज्य सचिवालय आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने मांग की कि उन्हें 30 प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए। पंत ने हालांकि 15 सदस्यीय टीम को आमंत्रित किया था।

डाक्टरों ने कहा कि सरकार ने निमंत्रण में उल्लेख किया है कि डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल 15 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन राज्य में 26 मेडिकल अस्पताल हैं और प्रत्येक अस्पताल बातचीत के लिए कम से कम एक प्रतिनिधि भेजना चाहता है।

उल्लेखनीय है कि गत नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल में एक युवा महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में सरकारी अस्पतालों में अनिश्चितकालीन काम बंद को समाप्त करने के लिए वार्ता में शामिल होने से पहले डॉक्टर कोलकाता पुलिस प्रमुख के इस्तीफे की अपनी मांग पर भी अड़े रहे।

खुली जेल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जारी कर राजस्थान सरकार को कहा था कि ओपन जेल की जमीन को कम करने का प्रयास नहीं करे। वहीं, छह दशक से ओपन जेल के लिए काम आ रही इस जमीन को संरक्षित करे, लेकिन अदालती आदेश के बाद भी जेडीए ने 30 जुलाई 2024 को इस जमीन पर सेटेलाइट अस्पताल के लिए जमीन आवंटन करना मंजूर कर दिया है।

राज्य सरकार व जे.डी.ए. का ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के अदालती आदेश की अवमानना है। याचिकाकर्ता सेटेलाइट अस्पताल खोलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए दूसरी जगह देखी जा सकती है। वहीं, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया, जिस पर अदालत ने सीएस को हिदायत देते हुए सुनवाई टाल दी। न्याय मित्र अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि ओपन जेल में हॉस्पिटल बनाए जाने का मुद्दा राजस्थान हाईकोर्ट में भी पेंडिंग चल रहा है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908